

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :- 122/2023

प्रशान्त बनाम अशोक

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15.05.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता हाजिर। विभाजन प्रस्ताव पर वादी को सुना गया। वास्ते आदेश दिनांक 23.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(3) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर)</p>	
	23.05.2024	<p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। समयभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। वास्ते आदेश दिनांक 27.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(2) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर)</p>	
	27.05.2024	<p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। विभाजन प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक डिक्री बनकर पेश हुए है। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति वादी/प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं हुई है।</p> <p>अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्तावों को बाद अनुमोदन डिक्री की पालना हेतु भेजा जावें। अनुमोदित विभाजन प्रस्ताव इस आदेश एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।</p> <p>विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(2) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर)</p>	